

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

जिला शाजापुर

क्रमांक./स्था./प्रा.शि.डान्स /नियु./2026/५७

शाजापुर,दिनांक 0५/07/2026

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं समय-समय पर संशोधित भर्ती नियम के नियम 5 (4) (क) के अनुसार कर्मचारी चयन मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा प्राथमिक शिक्षक "फिजिकल" पद हेतु आयोजित शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के परिणाम के आधार पर जारी चयन सूची के निम्नांकित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक " फिजिकल " के पद में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है:-

S N	ROLL NO	RANK	NAME AND F/H NAME	ADDRESS	CATEGORY	SELECTED CATEGORY	POSTING PLACE	DISTRICT
1	6002250693 188	4	SACHIN PARMAR F/H Name- RAMNARAYAN PARMAR	93 WARD 05, SCHOOL MOHALLA KALAPIPAL GRAM KALAPIPAL SJP MADHYA PRADESH 465337	OBC	OBC/X/OP	DISE- 232205008 10 GOVT SANDIPAN HSS POCHANER	Shajapur
2	6004250637 160	8	MAMTESH PAWAR F/H Name- RAJENDRA PAWAR	W NO 15 Q NO 1144 VILLAGE KALAPIPAL MANDI POST KALAPIPAL KALAPIPAL SJP MADHYA PRADESH 465337	OBC	UR/X/OP	DISE- 232207090 44 PMSHri- GHSS GIRLS SHUJALP UR MANDI	Shajapur
3	6002250631 915	124	SANTOSH PATIDAR F/H Name- KANHAIYAL AL PATIDAR	01 VILLAGE JANGIBAD TALEN TEHSIL PACHORE RJH MADHYA PRADESH 465680	OBC	OBC/X/OP	DISE- 232207049 37 GHSS GIRLS SHUJALP UR CITY(1 to 12)	Shajapur
4	6004250683 728	135	MAYANK PATEL F/H Name- DWARKA PATEL	960 DWARKA PATEL KARAMCHARI COLONY KURAWAR ROAD/KARAMC HARI COLONY KALAPIPAL MANDI SJP MADHYA PRADESH	OBC	UR/X/OP	DISE- 232207118 14 GOVT SANDIPAN HSS SHARDA SHUJALP UR	Shajapur

5	6004250679 427	143	VAIBHAV PARMAR F/H Name- VIKRAM SINGH PARMAR	351 WARD NO 12 GANDHI COLONY SHUJALPUR MANDI SJP MADHYA PRADESH 465333	OBC	OBC/X/O P	DISE- 232207077 20 GOVT SANDIPAN I HSS AKODIYA MANDI	Shaja pur
6	6005250691 945	146	RITU PATIDAR F/H Name- ASHOK PATIDAR	WARD NO 07 PATIDAR MOHALLA GOPIPUR SHAJAPUR SJP MADHYA PRADESH 465001	OBC	UR/X/OP	DISE- 232206218 05 GHSS JYOTINAG AR SHAJAPU R	Shaja pur
7	6013250714 974	306	PAWAN UCHADIA F/H Name- LAXMINARA YAN UCHADIA	133 VEER SAWARKAR MARG PATWARI COLONY WARD NO 14 SHAJAPUR SJP MADHYA PRADESH 465001	SC	SC/X/QP	DISE- 232206175 02 GHSS EXCELLE NCE SHAJAPU R	Shaja pur
8	6002250631 680	348	SHIVPUJAN SILORIYA F/H Name- DURGA PRASAD	01 BOLDA ARANIYA KHURD LAL MATA SHUJALPUR SJP MADHYA PRADESH 465333	SC	SC/X/OP	DISE- 232206055 07 GHSS BERCHHA MANDI	Shaja pur
9	6004250658 674	390	AJAY HANOTIYA F/H Name- RADHESHY AM HANOTIYA	26 LINE NO 04 VIJAY NAGAR SHAJAPUR SHAJAPUR SHAJAPUR SJP MADHYA PRADESH 465001	SC	UR/X/OP	DISE- 232206175 04 GOVT SANDIPAN I HSS NO2 SHAJAPU R	Shaja pur
10	6004250696 453	409	VIKRANT PANWAR F/H Name- BABULAL PANWAR	36 VIJAY NAGAR RADHAGANJ DEWAS DEW MADHYA PRADESH 455001	OBC	UR/X/OP	DISE- 232206059 17 PMShri- GHSS PANWADI	Shaja pur
11	6004250680 291	424	MANASWIN BAJPAI F/H Name- ASWIN BAJPAI	M23 SANDIPANI COLONY RAJNDRA NAGAR INDORE IND	UR	UR/X/OP	DISE- 232204146 06 GHSS EXCELLE NCE BARODIY	Shaja pur

				MADHYA PRADESH 452012			A KUMARIA(1 to 12)	
1 2	6013250676 793	103 8	DEEPTI GOUSAR F/H Name- DILIP GOUSAR	1 POLYTECHNIC COLLEGE CAMPUS DEWAS ROAD UJJAIN UJJ MADHYA PRADESH 456010	SC	GF/SC/X OP	DISE- 232206214 05 GOVT SANDIPAN I HSS SUNDERS I	Shaja pur
1 3	6004250735 989	111 8	ADITI KASERA F/H Name- PURHOTTA M KASERA	217 DWARAKADHISH COLONY AIRPORT ROAD INDORE IND MADHYA PRADESH 452005	OBC	UR/X/OP	DISE- 232204014 22 GOVT SANDIPAN I HSS GULANA	Shaja pur

2/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छट्वां वेतनमान 5200-20200 +2400 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-6 में तत्स्थानी वेतनमान 25300-80500 के न्यूनतम वेतन रुपये 25300/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

3/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

4/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

5/ संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे। दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-

- XV. नियुक्ति आदेश
- XVI. पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- XVII. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र)
- XVIII. आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग (E.W.S.) के अभ्यर्थियों लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
- XIX. मूल निवासी प्रमाण पत्र

- XX. स्थायी निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है)
- XXI. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है)
- XXII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- XXIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज।
- XXIV. भूतपूर्व सैनिक की दशा में वैध प्रमाणपत्र।
- XXV. बोनस प्राप्त करने की स्थिति में NCC का C प्रमाणपत्र
- XXVI. कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा की अंकसूची
- XXVII. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी घोषणा, (परिशिष्ट- 1)

XXVIII. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट- 2)

6/ बिन्दु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र (पुलिस वेरीफिकेशन) भी प्रस्तुत करना होगा।

7/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

8/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

9/ परिवीक्षा अवधि के संबंध में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनाधिकृत अनुपस्थिति की स्थिति में सेवाये समाप्त की जा सकेगी।

विशेष टीप:- यदि चरित्र /जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक योग्यता/शपथपत्र इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शाजापुर

पृ.क्रमांक./स्था./प्रा.शि.डान्स /नियु./2026/48

शाजापुर, दिनांक 04/07/2026

प्रतिलिपि:-

- 13. विशेष सहायक, माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
- 14. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 15. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 16. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश ।

17. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र ।
18. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर ।
19. संभागायुक्त उज्जैन मध्यप्रदेश ।
20. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग, उज्जैन मध्यप्रदेश ।
21. कलेक्टर जिला शाजापुर मध्यप्रदेश ।
22. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारीजिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
23. संबंधित कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
24. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को दिनांक 7 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 के मध्य अपनी उपस्थिति देवें।


जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शाजापुर